न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
81 / 20	22.10.2020	27.11.2021

उनवान

1. विजय सिह पुत्र जीवराज जाति मेघवाल निवासी बासडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
2. सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–ःनिर्णयः–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कोलगाव तहसील किशनगढबास मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हे. ,339 रकबा 0.68 हे. जिसका साबिक खसरा नम्बर 206 मिन रकबा 3 बीघा एवं 206 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव से कायम हुआ है आराजी उक्त प्रभाती पुत्र जीवना भंगी सा. देह पटटेदारी की आराजी थी जिसके नाम का अंकन सम्वत 2020 कमे साबिक खसरा नम्बर 206 मिन रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वको ग्राम कोलगांव मे हो रहा है उक्तानुसार अमल ही सम्वत 2029 भू. प्रबन्ध जामबन्दी के हाल खसरा नम्बर 337 एवं 339 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास मे हो रहा है। तथा जमाबन्दी सम्वत 2066–69 मे वारिसान के नाम को पटटेदार गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी के वारिस छोटन व मूर्ती द्वारा अपना 1/2 हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 14.02.2012 के द्वारा रामौतार उफ छितर पुत्र प्रभाती कोम चमार निवासी कोलगावं तहसील किशगनढबास को किया है तथा रामौतार उर्फ छितर द्वारा आराजी उक्त के 1/2 भाग वादीगण को निस्फ निस्फ भाग का बेचान ईकरारनामा दिनांक 30.12.2013 के

उप जिला कलक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

मिन वादीगण को किया है तब से आज तक मिन वादीगण ही आराजी उक्त पर काबिज काश्त है इसलिए वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमा कराकर खातेदारी सनद प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः—

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर वादीया आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हे. ,339 रकबा 0.68 हे.. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास की जरिये इकरारनामा दिनांक 30.12.2012 के काबिज वो दखिल है एवं इकरारनामा बहक वादीया विधिवत गैर खातेदारान पटटेदारान ने बाकब्जा तहरीर करते हुए चुकता रकम प्राप्त की हुई है। वादीया मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीया तमे जो आराजी मुतनाजा पर गैर खातेदारान पटटेदारान का अंकन दर्ज किया हुआ है खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा है हकूक वादीया के विरूद्व नल एण्ड वाईड है काबिल दुरूस्ती है जिस गैर खातेदार इन्द्राज को हजफ कराया जाकर वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार दर्ज कराया जावे।
3. खर्चा मुकदमा का वादीया को दिलाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जबाब पेश कर निवेदन है कि निर्णय श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार है।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 विजयसिह, पी.डब्ल्यू 2 आसमोहम्मद शपथ पत्र पेश किये । तथा पी.डब्ल्यू 1 साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी हाल प्रदर्श 1, नकल खसरा टिप प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010—11 प्रदर्श 3, नकल भू. प्रबन्ध जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श 4, नकल खसरा जमाबन्दी सम्वत 2033 प्रदर्श 5, इकरारनामा प्रदश 6 पेश किये है।

हमने वकील वादी की बहक सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । वादीया द्वारा आराजी उक्त को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान से जर्ये इकरारनामा दिनांक 14.02.2012 ;30.12.2012 के द्वारा कय किया है वाद मे प्रस्तुत प्रति लेजर मे साबिक खसरा 206 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा परभाती पुत्र जीवना की पटटेदारी की आराजी है जिसका अमल भू. जमाबन्दीयात से ताहाल जमाबन्दीयात मे हो रहा है

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

तथा तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमाक /राजस्व/20/311 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार मौके पर वादीगण पर समभाग मे कब्जा काश्त है मौके पर सरसो, गेहू, प्याज की फसल बोई हुई है जिससे कब्जा वादीगण बाखूबी सिद्व होता है। तथा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत कोलगांव मे नियमन कमेठी द्वारा भी आराजी उक्त को प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण मानते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने के सर्व सम्मति से खातेदारी सनद जारी के आदेश पारित किये है। अतः हम आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हे. ,339 रकबा 0.68 हे. कुल किता 2 रकबा 1.44 हे. मे से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराकर खातेदार सनद जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। वाद वादीया काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हे. ,339 रकबा 0.68 हे. कुल किता 2 रकबा 1.44 हे. मे से 1/2 हिस्सा समभाग वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी पर दर्ज समस्त अंकन 1/2 हिस्से की जद तक को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न. 81/20

प्रवेश तिथि : 22.10.2020

निर्णय तिथि 27.11.2021

पर्चा डिकी

उनवान

1. विजय सिह पुत्र जीवराज जाति मेघवाल निवासी बासडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
2. सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 हे. ,339 रकबा 0.68 हे. कुल किता 2 रकबा 1.44 हे. मे से 1/2 हिस्सा समभाग वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी पर दर्ज समस्त अंकन 1/2 हिस्से की जद तक् को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	राजस्व वाद विजय सिह बनाम सरकार मु.न.81/20 निर्णय दिनांक 27.11.2021
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	विजयसिह पुत्र जीवराज जाति मेघवाल निवासी बासडा तन किशनगढबास तहसील किशनगढबास 1/2 हिस्सा सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास 1/2 हिस्सा
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.76 है., 339 रकबा 0.68 है. कुल किता 2 रकबा 1.44 है. का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 56086273 से राशि 5760 रू.(पांच हजार सात सौ साठ रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 56086348 से राशि 2880 रू.(दो हजार आठ सौ अस्सी रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार छोटन पुत्री प्रभाती 1/4 हिस्सा एवं मूर्ति पुत्री प्रभाती 1/4 हिस्से पर दर्ज समस्त अंकन को कलमजन कर खातेदारी सनद जारी की गई । तथा शेष 1/2 हिस्से के गैरखातेदारान का अंकन बदस्तूर गैरखातेदार रहेगा।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कमाक/सम/2021/ 1012-15

दिनांक :– 10-12-2021

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री विजय सिह पुत्र जीवराज जाति मेघवाल निवासी बासडा तन किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रारूप सख्या